Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to give salary to teachers under Madarsa Modernisation scheme commenced in 1993-1994 in Uttar Pradesh.

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । महोदय, मैं केन्द्र पुरोनिधानित मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993-94 से संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना की ज्वलंत समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 8,584 आच्छादित मदरसों में 25,500 शिक्षक कार्यरत हैं, जो अपने कार्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए मदरसों में पढ़ने वाले समाज के सबसे गरीब और पिछड़े बच्चों को शिक्षित कर सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं । महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन आधुनिक शिक्षकों को कई वर्षों से केन्द्रांश मानदेय नहीं मिल रहा है । विशेषकर आजमगढ़ जनपद के सैकड़ों शिक्षकों को 48 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वेतन के नाम पर कुछ भी नहीं दिया है, जिससे इन शिक्षकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती संगीता आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

13.06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

<u>14.04 hrs</u>

The Lok Sabha reassembled at Four Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा । जिन सदस्यों को नियम 377 के

अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले को रखने की कोशिश करें।